IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# साइबर क्षेत्राधिकार : एक विलेशणात्मक अध्ययन*

कृष्ण कुमार भास्कर, लेखक,
रिसर्च स्कॉलर, विधि विभाग,
के0एस0 साकेत पी0जी0 कॉलेज, अयोध्या,
संबद्ध डॉ0 आर0एम0एल0ए0यू0 अयोध्या,

प्रस्तावना:–

राश्ट्रीय सीमाओं की तरह साइबर स्पेस की सीमाऐं सुनिर्ि"चत नही है। इसकी भौगोलिकी अथवा संस्थागत सीमाऐं नही है यह एक स्वतन्त्र परिवे"ा है। जिसमें लोगों और सॉफ्टवेयर सेवाओं का आपसी सम्पर्क भाामिल है जिनके द्वारा सूचना और संचार का वि"वव्यापी वितरण संभव होता है। इंटरनेट की बढ़ती पहुॅच से साइबर स्पेस का विस्तार हो रहा है क्योंकि इसका आकार इसके माध्यम किये जाने वाले कियाकलापों से समानुपातिक होता है।

साइबर भाब्द से यह तात्पर्य है कि ऐसी सभी वे जगह जहॉ के सभी कार्य कम्प्यूटर वाया नटवर्क से संचालित एवं सम्पादित होते है। साइबर स्पेस से यह तात्पर्य एक अभौतिक स्थल जहॉ एक से दूसरे कम्प्यूटर को जा रहे इलेक्ट्रॉनिक संदे"ा स्थिति होते है साइबर स्पेस है।

'क्षेत्राधिकार' एक ऐसा अति महत्वपूर्ण विशयवस्तु है जिसका उपयोग किसी भी उत्पन्न विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में निस्तारित किये गये निर्णय को वैधता या अवैधता प्रदान करता है किसी भी विवाद के निस्तारण में एक वैध क्षेत्राधिकार का पयोग करके निर्णय दिया गया है तो वह निर्णय एक वैध निर्णय होगा।

वर्तमान समय ''सूचना प्रौधोगिकीय'' युग है और यह ''भौमिकीय करण'' की आधारर्ि"ाला है इसी के कारण से वि"व का ग्रामीणीकरण हुआ है। वर्तमान समय में ''कर्ता'' या अपराधी विदे"ा में प्रवार्ि"ात हो कर कोई कृत्य या अपराध विदे"ा सम्पन्न करता है एवं उसके कृत्य या अपराध का प्रभाव दूसरे दे"ा में होता है जो कि उस द"ा की विधि द्वारा उसके कृत्यों को प्रतिबन्धित या अपराध घोशित किया गया है जबकि कर्ता जहॉ से कृत्य सम्पादित करता है वहॉ उस कृत्य को न तो प्रतिबन्धित किया गया है न ही अपराध घोशित किया गया है।

यदि कोई कृत्य एक दे"ा में प्रतिबन्धित या अपराध है और यदि दूसरे दे"ा में प्रतिबन्धित या अपराध घोशित है तो यदि कोई कृत्य कारित हो जाता है तो जिस दे"ा में ऐसे कृत्य को अपराध घोशित या प्रतिशेध किया गया है उस दे"ा के न्यायालय को उस विवाद का विचारण करने की अधिकारिता होगी या उस दे"ा के न्यायालय को उस विवाद का विचारण करने की अधिकारिता होगी जहॉ की उस कृत्य को प्रतिशेध या अपराध घोशित किया गया है। यह क्षेत्राधिकार किस दे"ा के न्यायालय को प्राप्त है? कि जिस दे"ा में ऐसा कृत्य किया गया या उस दे"ा को जिसमें ऐसे कृत्य का दुश्प्रभाव पड़ा है''।

हम अपने अध्ययन कार्य में ''साइबर क्षेत्राधिकार'' के सम्बन्ध में यह प्राप्त करने का प्रयास करेंगे की साइबर अपराध या साइबर सिविल दोश के सम्बन्ध में साइबर क्षेत्राधिकार क्या है? एवं किसका है? इसके सम्बन्ध में एक अवधारणा है कि साइबर एक ''बिना निर्ि"चत क्षेत्र सीमा वाले (बाउन्ड्रीलेस वर्ल्ड) वि"व की अवधारणा है जिसका क्षेत्र निर्धारित नही है, जिस प्रकार किसी राज्य या दे"ा की सीमा का निर्धारण किया गया है उस प्रकार इसका क्षेत्र निर्धारित नही है।

अर्थ एवं परिभाशा:–

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का सामान्य अर्थ भाक्ति, क्षमता या प्राधिकार है अर्थात् "Jurisdiction is a power, capacity or authority".

यदि कोर्ट का क्षेत्राधिकार न होने पर उसके द्वारा किसी वाद पर निर्णय दिया जाता है तो उसे "Corom non Judice" की कोटि में रखा जायेगा। इसे Non-est और Powerless भी कहा गया है।

"Coram non Judice"[1] पदावली का अर्थ है– न्यायाधी"ा विहिन निर्णय अर्थात् न्यायाधी"ा विहिन न्यायालय द्वारा मुकदमें का विचार किया गया है अर्थात् जिस मामले का विचार क्षेत्राधिकार के बिना किया गया है।

"Without the power court passed decision, order, decree that is called coram non judice."

'इन्साइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका[2] के अनुसारः– इसमें क्षेत्राधिकार का अर्थ बताया गया है जो कि निम्न है।

1. यह भाक्ति (Power) को रेखांकित करता है।

2. यह क्षमता (Capacity) या प्राधिकार को रेखांकित करता है।

क्षेत्राधिकार ही ऐसी रीति है जो कि सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय तथा कल्प न्यायालय को भाक्ति, क्षमता व प्राधिकार को रेखांकित करता है जो किसी वाद को निर्णित करने में मदद करता है सहयोग देता है या न्यायालय को सक्षम बनाता है वास्तविक मुकदमें को निर्णित करने के लिए। क्षेत्राधिकार के द्वारा न्यायालय को किसी विवाद को निर्णीत करने का अधिकार मिलता है या प्राप्त होता है।

''इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका''[3] के अनुसारः– इसमें भी क्षेत्राधिकार का अर्थ बताया गया है इसके अनुसार क्षेत्राधिकार से तात्पर्य किसी न्यायालय को प्राप्त भाक्ति, क्षमता तथा प्राधिकार से है जो किसी वाद की सुनवाई करने तथा उसमें निर्णय देने के लिए न्यायालय को स"ाक्त करता है या सक्षम बनाता है तथा पक्षकार को निदे"ा या निर्दे"ा (Direction) देने से अभिप्रेत है।

''हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैण्ड''[4] के अनुसारः– किसी न्यायालय के भाक्ति, क्षमता या क्षेत्राधिकार को 1. कोई चार्टर द्वारा या 2. किसी कमी"ानों/आयोगों द्वारा या 3. किसी संविधि द्वारा सीमित, प्रतिरोध, प्रतिशेध कर दिया गया है तथा यदि क्षेत्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करते है जिसमें कि पक्षकार को सहमति द्वारा या कोर्ट के मजिस्ट्रेट के स्वेच्छाचारिता की रीति द्वारा का तथ्य भामिल है तो ऐसे न्यायालय द्वारा जो भी कोई डिको, आदे"ा, निर्णय पारित किया जायेगा उसकी मान्यता नही होगी अर्थात् सब कुछ अवैध होगा/हो जायेगा।

इस प्रकार (Jurisdiction) क्षेत्राधिकार एक ऐसी क्षमता, भाक्ति व प्राधिकार है किसी कार्य को करने के लिए।

क्षेत्राधिकार के प्रकारः– माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ''किरन सिंह बनाम चमन पासवान''[5] के वाद में क्षेत्राधिकार को पांच प्रकार का बताया गया है जो कि निम्न हैः–

1. विशयवस्तु क्षेत्राधिकार ( Subject matter jurisdiction)
2. मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)
3. भूमण्डलीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)
4. धन सम्बन्धित क्षेत्राधिकार (Pecuniary Jurisdiction)
5. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

[1] Supreme Law Dictionary (English-Hindi), "Ed 1st 2008, PBbC.L.P. Allahabad, Page No. 440.
[2] http://www.encyclpedia.com/topic/jurisdiction.aspx.access at 28//14 on 8:18 pm.
[3] http://www.britannica.com/EBehecked/topic/308575/jurisdiction, access at 28/04/14 on time 8:30 pm.
[4] http://www.google.com.in/#q=halsbury%27s+Laws+of+englan+meansin+of+jurisdiction, access at 28/04/2014 on time 8:40.
[5] 1954 AIR 340, 1955 SCR 117

इस वाद में न्यायालय ने यह कथन किया है कि–

1. कोई भी न्यायाधो”ा बिना क्षेत्राधिकार के किसी मामलें का विचारण करके निर्णय देता है तो उसे नामंजूर किया जायेगा।
2. इसके अलावा निश्पादन प्रकिया या आदे”ा को भी नामंजूर किया जायेगा।

यह 19वीं एवं 20वीं भाताब्दी का द”र्ान था। क्या आज 19वीं भाताब्दी का द”र्ान लागू किया जा सकता है? क्या वही द”र्ान आज सक्षम है। जो साइबर वर्ल्ड (Cyber World) को ध्यान में रखते हुए जिस द”र्ान को विकसित किया गया।

अमेरिकन दृश्टिकोण **(American Perspective)**

अमेरिका में क्षेत्राधिकार को 4 प्रकार का बताया गया है जो निम्न है–

1. विशयवस्तु सम्बन्धित क्षेत्राधिकार (Subject matter Jurisdiction)
2. आर्थिक धन–सम्बन्धित क्षेत्राधिकार ( Pecuniary Jurisdiction)
3. भूखण्ड सम्बन्धित क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)
4. पेन्नोयर परीक्षण क्षेत्राधिकार (Pennoyer Test Jurisdiction)

अमेरिका में अमेरिका न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कुछ परीक्षण विकसित किये गये है जो कि निम्न है–

1. पेन्नोयर परीक्षण **(Pennoyer Test)-** अमेरिका में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में एक परीक्षण विकसित किया गया जिसे पेन्नोयर परीक्षण (Pennoyer Test) के नाम से जाना जाता है।

**Pennoyer v/s Neff(1878) (FC)**[6]- इस वाद में फेडरल कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है या राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित है तो उसी न्यायालय को वाद को विचरित करने की भाक्ति, क्षमता तथा प्राधिकार है, जो उस व्यक्ति तथा वस्तु से सम्बन्धित है। इसे ही संप्रभुता का सिद्धान्त या पूर्ण सिद्धान्त भी कहा जाता है यह परीक्षण 1939 तक चला क्योंकि 'द्वितीय वि”व युद्ध' (2nd World War) में सारे अर्थनैतिक मापदण्ड नश्ट हो जाते है। इसके प”चात् औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। एक दे”ा के लोग दूसरे दे”ाों में व्यापार एवं वाणिज्य के लिए जाने लगे तथा एक दे”ा के लोग दूसरे दे”ा के लोगों के साथ व्यापार एवं वाणिज्य करने लगे। अतः ऐसी स्थिति में पेन्नोयर परीक्षण (Pennoyer Test) लोगों को न्याय दिलाने में असफल रहा।

अतः अमेरिका में एक नये परीक्षण को विकसित किया जिसे 'सूक्ष्म सम्पर्क परीक्षण' (Minimum Contact Test) के नाम से जाना जाता है।

2. सूक्ष्म सम्पर्क परीक्षण – इस परीक्षण के अनुसार यदि कोई संविदा जिसका सृजन किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हुआ है और यदि उस संविदा का पक्षकार बाहर का है या सम्पत्ति बाहर की है तो भी उसका विचार/विचारण करने की भाक्ति, क्षमता तथा प्राधिकार उसी न्यायालय को होता है जिसके क्षेत्राधिकार में संविदा का निश्पादन हुआ है परन्तु जो न्यायालय ऐसे वाद पर विचार कर रहा है उसके पास लम्बी आधुद्ध (भुजा) संविधि (Long Arm Statute) होना चाहिए तथा लोगों द्वारा कोई सम्पर्क (Contact) या संविदा (Contract) अपने क्षेत्राधिकार में किया जाना चाहिए।

**World Wide Volks Wagon Corp. v/s Woodson**[7] इस वाद में न्यायालय द्वारा उपरोक्त सिद्धान्त को लागू किया गया। इस वाद में Woodson और अन्य लोग Okalahama State (America) के निवासी लोग थे volks Wagon से हरि और के राविन्सन ने एक कार खरीदी गयी थी volks Wagon जो कि एक व्यापारिक प्रतिश्ठान था जो कि न्यूयार्क (Newyork) अमेरिका में व्यापार करता है। जब राविन्सन और उसके परिवार के तीन अन्य सदस्य पत्नी एवं दो पुत्र यात्रा से लौट रहे थे तब रास्ते में कार के टैंक में आग लगन के कारण पत्नी एवं दोनों पुत्र जल (burn) गये। राविन्सन के द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए विक्रेता एवं वितरक के विरूद्ध कार के इंजन की आकृति में कमी/त्रुटि होने के कारण ही दुर्घटना घटित हुई के आधार पर वाद संस्थित किया। प्रतिवादी विक्रेता एवं वितरक निगम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उत्प्रशण याचिका लेख दाखिल किया। प्रतिवादी कार कम्पनी

---

6 95 U.S. 714 (1878)

7 444 U.S. 286 (1980)

के वकील ने कहा संविदा न्यूयार्क (Newyork) में हुई जबकि दुर्घटना (Accident) ओकलाहस, (Okalahama) में हुआ। अतः न्यूयार्क कोर्ट को क्षेत्राधिकार है न कि ओकलाहोम के न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार है। अतः कम्पनी ने कहा कि यह मेरे लिए बाध्यकारी नही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभाव परीक्षण लागू करते हुए उत्प्रेशण लेख जारी नही किया गया।

3. प्रभाव परीक्षण **(Effects Test)**– यह साइबर वर्ल्ड (cyber world) के सबसे अच्छा परीक्षण है। यदि किसी कार्य के द्वारा या कार्य से जिस क्षेत्र के लोग तथा व्यक्तियों पर प्रभाव (Effect) पड़ता है तो उसी क्षेत्र के न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है या मिलता है।

**USA v/s Thomas**[8]– इस वाद में आर. थामस एक कम्प्यूटर बुलेटन बोर्ड का आपरेटर था जो कैलोफोर्निया में कार्यरत् था इसके द्वारा कम्प्यूटर पर 'सेक्सुल एक्सप्लीसिट मैटर' Sexually explicit matter or hardcore sexual matter या अ"लील सामग्री छोड़ दिया गया था। इसो विभत्स सामग्री (नग्न चलचित्र प्रद"िन) द्वारा टेनिस राज्य के मेमाफिस्ट जिलें के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके प"चात् वहॉ के छात्रसंघ द्वारा इसको बन्द कराने के लिए वाद संस्थित किया गया था और समन कैलिफोर्निया में कम्प्यूटर बुलेट बोर्ड के निर्दे"ाक को जारी हुआ था। निर्दे"ाक ने कहा कि मेमफिस्ट के न्यायालय को मामलें क विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन इस वाद में न्यायालय ने ''प्रभाव परीक्षण'' (Effect Test) को लागू करते हुए कहा कि ''कि कम्प्यूटर पर डाले गये ''नग्न अ"लील सामग्री द्वारा मेमफिस्ट जिले के लोगों पर बुरा असर पड़ा है अतः यह यही के न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है''।

इस वाद में कम्प्यूटर बुलेटन बोर्ड के निर्दे"ाक द्वारा यह तर्क दिया गया था कि हम कैलिफोर्निया में स्थित है अतः कैलिफोर्निया के पास उसका क्षेत्राधिकार है और इस मामले को देखने का क्षेत्राधिकार कैलिफोर्निया के न्यायालय को है लेकिन इस तर्क को अस्वोकार्य कर दिया गया।

**The French Union of Jeuish Students v/s Yahoo.com**[9]

इस मामलें में 1. एक हथियार जो 'हिटलर' द्वारा उपयोग किया गया था। 2. Main Kempt अर्थात् My stuggle (Book) जो हिटलर की जीवनी (Autobiography) थी जिसमें एक स्थान का वर्णन था जिसमें हिटलर लोगों को प्रताड़ित करके या गैस चेम्बर में डालकर गैस से मारता था और उन्हें देखकर जो मजा लेता था उसे ही Anti-Semitic कहा जाता था।

उपर्युक्त सभी चीजों को yahoo.com पर action के लिए डाल दिया गया था जिसका दुश्प्रभाव फांस में पड़ा था। फान्स के लोगों द्वारा इसके लिए फान्स में वाद दाखिल किया गया। जर्मन के लोगों ने कहा यह हमारे यहॉ अनुज्ञाप्ति प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि इसका प्रभाव फांस के लोगों पर पड़ा है या पड़ रहा है अतः इस मामले के विचारण का क्षेत्राधिकार फान्स के न्यायालय के पास है।

**4. Purposeful Avalment Test:-** सामान्य विधि में सिविल प्रकिया संहिता का प्रावधान है यदि पक्षकार भिन्न–2 न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तो जहॉ वास्तविक निवास करता है जहॉ परिवार सहित निवास करता है, या कारबार करता है या ''जहॉ रहकर लाभ प्राप्त करता है'' उसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

सूचना प्रौद्योगिकीय विधि में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई परिभाशा– कोई दूसरे दे"ा में लाभ लेता है वहॉ कारबार करता है वही किसी को क्षति पहुॅचाता है तो वाद उसी दे"ा में दाखिल किया जायेगा और इसको ही Purposeful Avalment Test कहते है।

**Campu Serve v/s Patterson**[10] इसमें पैटरसन व्यापार करता था बौद्धिक सम्पदा को लेकर विवाद हुआ वह ओहियो (Ohio) में व्यापार करता था वहॉ से वह Purposeful Avalment लाभ कर रहा था जबकि वह टेक्सस का नागरिक था परन्तु यहॉ ओहियो (Ohio) का क्षेत्राधिकार माना गया।

[8] 74F.3d701 5th Cir. 1996

[9] 145 F.Supp.2nd 1168 Case No. (-00-212775JF (N.D. ca., September 24, 2001)

[10] 89 3d 1257 (6th Cir 1996)

5. सकारात्मक और नकारात्मक परीक्षण **(Active and Passive Test)**– किसी वेबसाइट पर एक्टिव सूचना को देखकर या देखना, समझना और समव्यवहार करना तो जहॉ कारबार होगा वहॉ ही क्षेत्राधिकार होगा।

**Eileena webber v/s Jolly**[11]- इस वाद में ईलीना बेवर जो डांसर थी, डांसर ने एजेन्ट से कहा इटली में टिकट बुक करो वहॉ डांस प्रोगाम करूॅगी। जोली होटल में उसे स्वीमिंग पुल से सर में चोट लगी थी वह न्यूजर्सी को नागरिक थी इटली में डांस करने के बाद जब वह न्यूजसी लौटी तो इटली के होटल जोली पर केस किया ऐलीना ने कहा मैने आपके होटल की जो सुविधाएॅ अपने इन्टरनेट पर डाली है उसको मैंने न्यूजर्सी से इसे देखा है अतः क्षेत्राधिकार न्यूजर्सी हैं। यही देख पाना **Passive Test** है।

होटल वाले ने कहा मेरा सार कारोबार इटली में है और मेरे होटल की सूचना इन्टरनेट पर न्यूजर्सी में देखा परन्तु वास्तविक रूप से बुकिंग के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है अतः क्षेत्राधिकारिता इटली के पास है कोर्ट ने भी माना देखकर कारबार करना (बुकिंग) Active Test है, जहॉ कारबार होगा उसी को क्षेत्राधिकार होगा और Passive Test को क्षेत्राधिकार नही ंहोगा।

**Ben Susen restaurant Corp. v/s King**- इस वाद में वेन सूसेन ने देखा कि मेरे होटल के नाम से कोई दूसरा बुकिंग और व्यापार कर रहा है इसके लिए वाद लाया गया और किंग को समन किया गया। किंग ने कहा की व्यापार के लिए मैनें अनुमति अपने भाहर को दिया है जहॉ भारीरिक रूप से आकर/उपस्थित होकर व्यापार करना होगा। अतः क्षेत्राधिकार मेरे पास है।

**6. Active-Passive Test**- कोई व्यक्ति जो साइबर वर्ल्ड में प्राप्त सूचना को आधार बनाकर कारबार करता है और यदि जब कोई विवाद होता है तब ऐसी स्थिति में जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कारबार का कियान्वयन भुारू किया गया था उसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा।

**Chick wvap/e.contract/online contract:-** जिस इन्टरनेट के क्षेत्राधिकार में प्रस्थापना जमा और संप्रेशित हुआ है जिस न्यायालय की अधिकारिता है उसी का क्षेत्राधिकार होगा।

भारतीय दृश्टिकोण **(Indian Perspective)**: संविधि प्रावधान– साइबर वर्ल्ड के आने से सभी विधियॉ और कानून उपर्युक्त नही रहे।

**Cr.P.C., 1973** की धारा 179[12] के अनुसार– जिस जगह अपराध हुआ है या जिस जगह अपराध का प्रभाव या परिणाम परिलक्षित होता है इन दोनों जगह पर क्षेत्राधिकार न्यायालय को होगा।

**C.P.C.,**[13] की धारा 15, 16, 17, 18–अचल सम्पत्ति के सन्दर्भ में बात करती है।

धारा 19 **(C.P.C.)** के अनुसार–सम्पत्ति या व्यक्ति की एवं उसके द्वारा छेड़छाड़ जहॉ सम्पत्ति से हुई है क्षेत्राधिकार वादी के विकल्प पर आधारित होता है नोट ''मृत भारीर भी सम्पत्ति है मृतक के परिवार जनों को'' जीवित अवस्था में स्वयं की सम्पत्ति है।

धारा 20 **(C.P.C.)-** Cause of action का तात्पर्य यह है कि वह स्थान जहॉ कोई कृत्य किया गया है या किसी अधिकार का उल्लघंन अर्थात् पूर्ण या आंिषक रूप से व्यक्ति के अधिकार का जहॉ भंग हुआ है उसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा।

इण्डिया टी0वी0 डाट कॉम (नोएडा) **v/s** इण्डिया टी0वी0 लाइब डॉट कॉम (न्यूजर्सी **USA)**[14]

इस वाद में नोएडा की कम्पनी इण्डिया टी0वी0 डाट कॉम का थोड़ा नाम बदलकर न्यूजर्सी में व्यापार किया जा रहा था तो भारत की कम्पनी ने दिल्ली में वाद किया और जब न्यूजर्सी में समन गया तो उन्होंने कहा हमारा क्षेत्राधिकार न्यूजर्सी है भारत

[11] 126F. 3d. 25, is a 1997

[12] दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 179

[13] सिविल संहिता, की धारा 15 च 20

[14] MIPR2007 (2) 396, 2007 (35) PTC 177 Del

में नही क्योंकि **C.P.C.** अभी स”ाोधित नही हुई है तो भारत ने कहा साइबर वर्ल्ड हेतु **IT** ला की धारा 81 है और इसी धारा के हिसाब से लागू होगा अतः भारत का क्षेत्राधिकार होगा।

धारा 61 के अनुसार सिविल कोर्ट के पास इसकी क्षेत्राधिकारिता नही है साइबर हेतु न्याय निर्णय जज नियुक्त होंगे सिविल कोर्ट के बाद पत्र, प्रकिया, अपील, क्षेत्राधिकार इत्यादि नियम लागू होंगे।

सूचना प्रौद्योगिकीय अधिनियम की धारा 75[15]– यह धारा भारतीय न्यायालय को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान करती है।

यदि प्रतिवादी या अपराधी भारत के बाहर स्थित है और ये अपराधी भारत के कम्प्यूटर सिस्टम को बाधित या भंग कर रहे है तो भी विचारण का क्षेत्राधिकार भारत को ही होगा। किन्तु भारत न तो वुडपेस्ट सम्मेलन का हस्ताक्षर सदस्य है न ही प्रत्यार्पण संधि है अतः धारा 75 का प्रवर्तन नही है।

निश्कर्शः–

साइबर क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में उपर्युक्त साक्ष्यों के वि”लेशण के प”चात् हम इस निश्कर्श पर पहुॅचते है कि क्षेत्राधिकार किसी भी न्यायालय या न्यायिक कल्प संस्थाओं की भाक्ति, क्षमता व प्राधिकार है जिसका उपयोग या प्रयोग करते हुए उसके सम्मुख प्रस्तुत या योजित किये गये वाद/विवाद में प्रदान किये गये निर्णय को वैधानिकता अभिप्राप्त होती है। परन्तु साइबर क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में न्यायालयों एवं न्यायिक कल्प संस्थानों का क्षेत्राधिकार राज्य सम्प्रभुता के क्षेत्राधिकार के समान एवं स्पश्ट नही होने के कारण सदैव विवादित विशय रहा है।

साइबर क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अमेरिकीय न्यायालय द्वारा विहित 'प्रभाव परीक्षण' 'सकिय एवं असकिय परीक्षण' ई–संविदा या ऑन लाइन संविदा का परीक्षण दिया गया है प्रथम परीक्षण में जहॉ कृत्य का प्रभाव होता है। वहॉ के न्यायालय को क्षेत्राधिकार है द्वितीय परीक्षण में जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संविदा का कियान्वयन आरम्भ होता है। तृतीय ई–संविदा या ऑनलाइन संविदा के सन्दर्भ में उस न्यायालय को वाद विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा जिसके क्षेत्राधिकारिता में ऐसे नेटवर्क के द्वारा प्रथम संव्यवहार किया जाता है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

**Books**


- The code of civil procedure, 1908
- The code of criminal procedure, 1973
- The Information technology Act, 2000
- 'Supreme Law Dictionary (English-Hindi)', Ed. 1st 2008, Pub-Central Law Publication, Allahabad.
- Sharm Vakul Information technology law and practice universal law publishing co new delhi India

पत्रिकाएं –

- दृष्टी पत्रिका पत्रिका
- लोकसभा सचिवालय शोध और सूचना प्रभाग ''सूचना बुलेटिन''


[15] सूचना प्रौद्योगिकीय अधि0, 2000 की धारा 75

वेब साइट्स –

- http://www.britannica.com/EBchecked/topic/308575/Jurisdiction accessed 27 Apr. 2020 at 7:10 pm.
- http://www.encyclopedia.com/topic/jurisdiction.aspx 27 Apr. 2020 at 7:25 pm.
- http://www.google.com/#q=halsbury%27st+Law+of+England+meaning+of+Jurisdiction 26 Apr. 2020 at 8:05 pm.
- http://www.indiakanoon.org/doc/1043775/ 25 Apr. 2020 at 7:50 pm.
- http://www.internetlibrary.com/cases/lib-case186.cfm 28 Apr. 2020 at 9:01.
- http://www.internetlibrary.com/cases/lib-case186.cfm 28 Apr. 2020 at 9:14.
- http://www.Lawanix.com/cases/pennoyer-Nef.html 28 Apr. 2020 at 9:45.
- http://www.Lawanix.com/cases/pennoyer-Nef.html 28 Apr. 2020 at 10:12.
- http://www.netlitigation.com/netlitigation/cases/thomas.html 29 Apr. 2020 at 10:41 pm.

वाद–

- Ben Susen restaurant Corp. v/s King
- Campu Serve v/s Patterson
- Eileena webber v/s Jolly
- Pennoyer v/s Neff(1878)
- The French Union of Jeuish Students v/s Yahoo.com
- USA v/s Thomas
- World Wide Volks Wagon Corp. v/s Woodson
- **इण्डिया टी0वी0 डाट कॉम (नोएडा) v/s इण्डिया टी0वी0 लाइब डॉट कॉम (न्यूजर्सी USA)**